

## बिहार में मंदिरों, मठों और ट्रस्टों का पंजीकरण अनिवार्य

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में **बिहार सरकार** ने सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे सुनिश्चित करें कि **अपंजीकृत मंदिर, मठ और धार्मिक ट्रस्टों का पंजीकरण** हो तथा उनकी अचल संपत्तिका ब्योरा **बिहार राज्य धार्मिक ट्रस्ट बोर्ड (BSBRT)** को प्रस्तुत किया जाए।

### मुख्य बिंदु

- **बिहार हिंदू धार्मिक ट्रस्ट अधिनियम, 1950** के अनुसार, सभी **सार्वजनिक मंदिरों, मठों, ट्रस्टों और धर्मशालाओं** को BSBRT के साथ पंजीकृत होना चाहिये।
  - **राज्य सरकार** पंजीकृत मंदिरों, मठों या ट्रस्टों की अवैध संपत्तिका लेन-देन में शामिल लोगों के साथ-साथ BSBRT में पंजीकरण न कराने वाली **अपंजीकृत संस्थाओं के वरिद्ध भी कड़ी कार्रवाई करेगी।**
- BSBRT के नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, राज्य में लगभग **2,512 अपंजीकृत मंदिर और मठ हैं, जिनके पास 4,321.64 एकड़ भूमि है।**
  - राज्य में लगभग 2,499 पंजीकृत मंदिर हैं, जिनके पास सामूहिक रूप से 18,456 एकड़ से अधिक भूमि है।